उत्तराखण्ड न्यायिक एवं विधिक अकादमी
घोड़ाखाल रोड, भवाली, जिला–नैनीताल, पिन कोड– 263132

अकादमी में पुस्तकों की आपूर्ति हेतु पंजीकरण सूचना

उत्तराखण्ड न्यायिक एवं विधिक अकादमी, भवाली, नैनीताल द्वारा विधि तथा विविध विषयों की विभिन्न पुस्तकों के क्रय हेतु प्रतिष्ठित प्रकाशकों, प्रकाशकों के अधिकृत विक्रेता/विक्रेता फर्मों का 'उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008' के अनुसार पंजीकरण किया जाना प्रस्तावित है।

अतः उक्त कार्य हेतु इच्छुक फर्मों के पंजीकरण पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। इच्छुक प्रकाशकों, प्रकाशकों के अधिकृत विक्रेता/विक्रेता फर्म अनिवार्य रूप से निम्नलिखित प्ररूप पर आवेदन कर सकते हैं:–

1. फर्म का नाम–
2. फर्म का पता–
3. दूरभाष/मोबाइल संख्या–
4. प्रतिनिधि का नाम एवं पता–
5. ट्रेड टैक्स विभाग का टिन संख्या/पंजीकरण संख्या–
6. आयकर विभाग का पेन कार्ड–
7. विभिन्न राजकीय कार्यालयों/उपक्रम के पुस्तकालयों में कार्य करने का अनुभव–
8. फर्म द्वारा आपूर्ति की जाने वाली पुस्तकों का प्रकाशकवार विवरण :–

क्रम संख्या	प्रकाशक का नाम तथा पता	अकादमी द्वारा वांछित पुस्तकों, बेयर एक्ट्स तथा लॉ जर्नल के बैक वॉल्यूम्स की आपूर्ति हेतु पुस्तकों पर अंकित अधिकतम खुदरा मूल्य पर दी जाने वाली छूट (प्रतिशत में) (भारत से बाहर के प्रकाशनों पर दी जाने वाली छूट का भी प्रतिशत में स्पष्ट उल्लेख करें)
1.		
2.		

उक्त सूचना के साक्ष्य हेतु प्रमाण संलग्न किये जाने आवश्यक हैं। समस्त सूचनाएं 20.08.2011 तक मुहरबंद लिफाफे में जिस पर पुस्तकों की आपूर्ति हेतु पंजीकरण लिखा हो, उत्तराखण्ड न्यायिक एवं विधिक अकादमी कार्यालय में जमा किया जाना अनिवार्य है। इस तिथि के पश्चात् कोई आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा। उक्त सूचनायें पूर्ण न होने पर आवेदन पत्र पर विचार किया जाना संभव नहीं होगा।

पंजीकरण सूचना का अवलोकन मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल की वेबसाईट http://www.highcourtofuttarakhand.gov.in तथा राष्ट्रीय सूचना केन्द्र (NIC) की वेबसाईट http://www.ua.nic.in पर भी किया जा सकता है।

संयुक्त निदेशक (लेखा)